पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 113/2024 दिनांक- 06.04.2024

प्रेस नोट

थाना- कोतवाली

किशोरी को भगाने में सहयोग करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

दिनांक 15.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लड़की को विपक्षी 02 बाल अपचारी थाना सिधारी जिला आजमगढ़ के सहयोग से वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसालकर भगा ले गया। 30 हजार रूपया और चार थान जेवर मंगलसूत्र , कान का जेवर सोने का , पायल सोने की अंगूठी लेकर गयी है । के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 146/24 धारा 363,366,120बी,376 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡दिनांक 4.4.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी थाना घोसी जनपद मऊ को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– दिनांक 5.4.24 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता नीतू यादव पुत्री प्रमोद यादव निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय 10.30 बजे अभियुक्ता के घर बलरामपुर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 146/24 धारा 363,366,120बी,376 भादवि **थाना कोतवाली आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्ता- नीतू यादव पुत्री प्रमोद यादव निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 विपिन कुमार सिंह, हे0कां0 मो0 इमरान, कां0 संदीप विश्वकर्मा, म0हे0कां0 रागिनी मिश्रा, म0कां0 आराधना त्रिपाठी थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना पवई

दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.03.2024 को वादिनी/पीड़िता थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी को गाना गाने के लिए रंजना यादव उर्फ दीपक यादव निवासी दरियागंज जनपद बक्शा जौनपुर द्वारा शाहआलम आरकेस्ट्रा ग्रुप पवई में ले जाना और बाद समाप्त प्रोग्राम रंजना यादव द्वारा खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर देना जिससे नशे में हो जाने पर राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी सिद्दीकपुर थाना सराख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया तथा किन्नर रंजना यादव उर्फ दीपक यादव ग्राम दरियागंज थाना बक्शा जौनपुर द्वारा वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया व मना करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमानित किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 75/24 धारा 376,328 भादवि 67 आईटी एक्ट व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट बनाम रंजना यादव उर्फ दीपक यादव पुत्र अज्ञात निवासी दरियागंज थाना बक्शा जौनपुर आदि 2 नफर पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी सिद्दीकपुर थाना सराख्वाजा जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरणः- दिनांक 06.04.2024 को उ0नि0 श्री उमेशचन्द्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी सिद्दीकपुर थाना सराख्वाजा जनपद जौनपुर को पुलसराय तिराहा के पास से समय करीब 05.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 376 भादवि में माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगःमु0अ0सं0 75/24 धारा 376, 328 भादवि 67 आईटी एक्ट व 3(2) v एससी/एसटी एक्ट थाना पवई आजमगढ।

आपराधिक इतिहासः- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्तः- राहुल पुत्र रामभरोसे निवासी सिद्दीकपुर थाना सराख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः- उ0नि0 श्री उमेशचन्द्र मय हमराह थाना पवई आजमगढ।

थाना- मेंहनाजपुर

अवैध असलहा व कारतूसत के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 05.04.24 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सिधौना बाजार में चौराहे के पास से एक अभियुक्त भीम यादव पुत्र सुभाष चन्द्र यादव निवासी ग्राम खुझरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 36 वर्ष को एक तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 20.48 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया है। बरादमगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी : एक तमन्चा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- अरविन्द यादव उर्फ भीम यादव पुत्र सुभाषचन्द्र यादव निवासी ग्राम खुझरा थाना मेंहनाजपुर जनपद आझमगढ़ उम्र 36 वर्ष

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 44/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्टथाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	144/12	147/148/149/302/323/34 भादवि	मेंहनाजपुर	आजमगढ़
2	146/12	3/25 आर्म्स एक्ट	मेंहनाजपुर	आजमगढ़
3	218/12	3उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	मेंहनाजपुर	आजमगढ़
4	56/19	135 विद्युत अधिनियम	मेंहनाजपुर	आजमगढ़
5	71/21	60ए आबकारी अधि0 व 201/272/420/467/468/471 भादवि	जैतपुर	अम्बेडकरनगर
6	82/21	60/63/72 आबकारी अधि व 420/467/468/471 भादवि	जैतपुर	अम्बेडकरनगर
7	03/22	174ए भादवि	जैतपुर	अम्बेडकरनगर
8	143/23	601,63 आबकारी अधि0 व 272/273/419/420भादवि	देवगाँव	आजमगढ़
9	156/23	601,63,72 आबकारी अधि0	देवगाँव	आजमगढ़
10	44/24	3/25 आर्म्स एक्ट	मेंहनाजपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम :- व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना मेंहनाजपुर,आजमगढ़

थाना दीदारगंज

वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा- 366/504/506/120बी भादवि व 3(1)द,3(1)ध, 3(2)5क SC/ST ACT दिनांक घटना 12.2.2024 समय 10.00 बजे विपक्षी 1. मोहम्मद फरहान पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम मीरअहमदपुर थाना दीदारगंज जिला आजमगढ 2-मोहम्मद नियाज पुत्र मोहम्मद इजहार 3-मोहम्मद कैश पुत्र मोहम्मद नियाज निवासीगण ग्राम करूई थाना दीदारगंज जिला आजमगढ पंजीकृत हुआ था विवेचना से अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध धारा 366 भादवि 3/51 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में प्रचलित था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 06.04.2024 उ0नि0 कमला प्रसाद शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद फरहान उर्फ सरहन पुत्र सर्फुददीन ग्राम मीरअहमदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 06.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 50/2024 धारा- 366/504/506/120बी भादवि व 3(1)द,3(1)ध, 3(2)5क SC/ST ACT

गिरफ्तार अभियुक्त– मोहम्मद फरहान उर्फ सरहन पुत्र सर्फुद्दीन ग्राम मीरअहमदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	55/24	366 भादवि व 3/51विधि विरुध्द धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

2. उ0नि0 कमला प्रसाद शर्मा , थाना दीदारगंज आजमगढ़

3 का0 राहुल राज थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अभियुक्त के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधि0 (NSA) की कार्यवाही; पूर्व में 04 अभियुक्तों के विरूद्ध हो चुकी है NSA की कार्यवाही।

श्रावण मास के दौरान दिनांक- 22.07.2023 को रात्रि 21.00 बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त 1.गालिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने अन्य साथियों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाडा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से गाडाबन्दी करके जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलो का व्यवस्थापन करना पड़ा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0 327/23 धारा- 307,323,352,504,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम 1.गालिब पुत्र कत्तु उर्फ जलालुद्दीन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, आदि 08 नामजद तथा 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक 14.09.23 को अभियुक्त 1.शहबाज पुत्र हारुन खाना निवासी मोहल्ला सिपाह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध NSA की कार्यवाही की गयी है।

➡ दिनांक 28.09.23 अभियुक्त 1. साकिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध NSA की कार्यवाही की गयी है।

➡दिनांक 03.11.23 को अभियुक्त फैशल पुत्र अफजाल अहमद निवासी कस्बा तेलीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। जिसके क्रम में-

अभियुक्त गालिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को लेकर आस पास के लोगों मे इस प्रकार भय ब्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते है जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक-05.04.24 को श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त गालिब पुत्र जलालुद्दीन उर्फ कत्तु निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित

मुख्यालय महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की अध्यक्षता में जनपद आजमगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शासन के दिशा-निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति फेज-4.0 के अन्तर्गत (दिनांक- 14.10.2023 से 18.03.2024 तक) नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वालंबन हेतु जागरूकता कार्यक्रम जनपद आजमगढ़ के 1,983 गांवों व 255 वार्डो में जाकर 19,221 कार्यक्रम आयोजित कर 1,19,745 पम्पलेट बांटकर 1,599 आनलाइन साफ्ट कापी द्वारा कुल 10,45,607 पुरूष/महिलाओं लोगों को जागरूक किया गया।

जनपद आजमगढ़ से थाना मुबारकपुर में नियुक्त महिला आरक्षी आकृति राव तथा थाना बिलरियागंज में नियुक्त महिला आरक्षी काजल सिंह को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यालय द्वारा प्रशस्ति पत्र/मोमेंटो प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में आज दिनांक- 06.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में उक्त दोनो महिला आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र/मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।